सत्यमेव जयते

न्यायालय

सहायक कलक्टर/उपखण्ड अधिकारी

गुढामालानी—बाड़मेर

(पीठासीन अधिकारी —केशव कुमार मीना आर.ए.एस.)

प्रार्थना—पत्र संख्याः— 2024 / 249 दर्ज तिथिः—02.07.2024

1. गिरधारीराम पुत्र गुमनाराम
2. चैनी पत्नी रामाराम
3. धन्नाराम पुत्र गुमनाराम
4. पारूदेवी पत्नी गुमनाराम
5. मगाराम पुत्र रामाराम
6. लाधाराम पुत्र रामाराम
   जाति जाट निवासी खडाली तहसील गुडामालानी जिला बाडमेर

.....प्रार्थीगण

बनाम

1. गोमाराम पुत्र कानाराम
2. पनी पत्नी कानाराम
3. पम्पों देवी पत्नी लाखाराम
   जाति जाट निवासी खडाली तहसील गुडामालानी जिला बाडमेर
4. तहसीलदार गुडामालानी जिला बाडमेर

उपस्थित अधिवक्ता
प्रार्थीः—श्री बाबुलाल विश्नोई
अप्रार्थीगणः—श्री चिमनसिंह चौधरी

प्रार्थना—पत्र अन्तर्गत धारा—131,136
राजस्थान भू—राजस्व अधि.—1956

—:निर्णयः—

निर्णय तिथिः—05.12.2025

1. आज यह पत्रावली प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 131, 136 राजस्थान भू—राजस्व अधिनियम—1956 वास्ते निर्णय पेश हुई। प्रकरण का सुक्ष्म वृतान्त इस प्रकार से है कि प्रार्थी द्वारा राजस्थान भू—राजस्व अधिनियम—1956 की धारा—131, 136 के अन्तर्गत एक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि प्रार्थी की खातेदारी आराजी खसरा संख्या 133 / 35.8065 है0, मौजा खडाली तहसील गुडामालानी में अवस्थित है। प्रार्थी की उक्त खातेदारी आराजी के पडोस में अप्रार्थीगण की खातेदारी की आराजी खसरा संख्या 133 / 1 / 35.8065 है0, मौजा खडाली तहसील गुडामालानी में अवस्थित है। उक्त

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2025.12.07 13:16:47 IST
Reason: SelfAttested

आराजी का मूल खसरा एक 133 मौजा खडाली तहसील गुडामालानी ही था। उक्त संयुक्त खातेदारी आराजी का हाजा न्यायालय पर वाद संख्या 60/1984 उनवान गोमाराम बनाम रामाराम में सहमति से विभाजन किया गया। इस प्रकार मूल खसरा संख्या 133 मौजा खडाली तहसील गुडामालानी का प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण के मध्य सहमति से बंटवारे का दावा का निर्णय करवाकर विभाजन करवाया गया। परन्तु विभाजन प्रस्ताव तैयार करने के समय बिना मौका कब्जा देखे प्रार्थी की कब्जे की भूमि पर मौके पर कब्जे के विपरीत अप्रार्थीगण के हिस्से में तरमीम कर दी गई। उक्त गलत तरमीम के कारण प्रार्थी के कब्जे काश्त की आंशिक आराजी को अप्रार्थीगण की तरमीम के अंतर्गत दर्शाकर अंकित किया गया है। इससे प्रार्थी के कब्जे की खातेदारी भूमि पर नकारात्मक प्रभाव पडता है। असल में प्रार्थी व अप्रार्थीगण की आराजी की तरमीम परिशिष्ट—अ के अनुसार होनी अपेक्षित है। अतः प्रार्थी व अप्रार्थीगण की आराजी की तरमीम परिशिष्ट—अ के आधार दुरूस्त कर रिकॉर्ड दुरूस्ती कर प्रार्थी का प्रार्थना—पत्र स्वीकार किये जाने का निवेदन किया।

2. प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थीगण द्वारा असालतन—वकालतन हाजिर न्यायालय होकर जवाब प्रस्तुत कर निवेदन किया कि

   - प्रार्थी व अप्रार्थी की संयुक्त खातेदारी का मूल खसरा संख्या 133 रकबा 442 बीघा 07 बिस्वा था। जिसका अप्रार्थी द्वारा प्रस्तुत राजस्व वाद संख्या 60/1984 व नया वाद संख्या 426/1993 में पारित प्रारम्भिक डिक्री दिनांक 08.01.1998 की पालना में तहसीलदार द्वारा विभाजन प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया। उक्त विभाजन प्रस्ताव पर प्रार्थी द्वारा कोई आपत्ति प्रस्तुत नहीं की गई।
   - उक्त प्राथमिक डिक्री के विरूद्ध माननीय राजस्व अपील अधिकारी के समक्ष अपील प्रस्तुत की गई। उक्त अपील माननीय न्यायालय द्वारा खारिज की गई। तत्पश्चात हाजा न्यायालय द्वारा 18.04.2001 को मुताबिक विभाजन प्रस्ताव अंतिम डिक्री जारी की गई। उक्त अंतिम डिक्री के विरूद्ध कोई अपील प्रस्तुत नहीं की गई।
   - कि संयुक्त खातेदारी आराजी का सक्षम न्यायालय से नियमानुसार विभाजन के पश्चात ही प्रार्थी व अप्रार्थी की पृथक्—पृथक् खातेदारी आराजी का राजस्व रिकॉर्ड में अंकन किया जाकर तरमीम की गई है। इस प्रकार सक्षम न्यायालय के द्वारा नियमानुसार विभाजन के पश्चात ही प्रार्थी व अप्रार्थी की पृथक्—पृथक् खातेदारी आराजी का राजस्व रिकॉर्ड में अंकन किया जाकर तरमीम के विरूद्ध यह प्रार्थना पत्र चलने योग्य नहीं है। साथ ही हाजा न्यायालय का क्षेत्राधिकार नहीं है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज किया जावे।

3. तहसीलदार गुडामालानी से मौका रिपोर्ट तलब की गई। प्रकरण में बहस सुनी गई। दौरान—ए—बहस विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी ने प्रार्थी व अप्रार्थीगण की आराजी की तरमीम परिशिष्ट—अ के आधार दुरूस्त कर रिकॉर्ड दुरूस्ती कर प्रार्थी का प्रार्थना—पत्र स्वीकार किये जाने का निवेदन किया। प्रकरण में बहस पर मनन किया गया। प्रकरण में सर्वप्रथम हाल राजस्व नक्शा का अवलोकन किया जाना आवश्यक है। प्रकरण में विवादित आराजी का हाल राजस्व नक्शा इस प्रकार हैः—

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2025.12.07 13:16:47 IST
Reason: SelfAttested

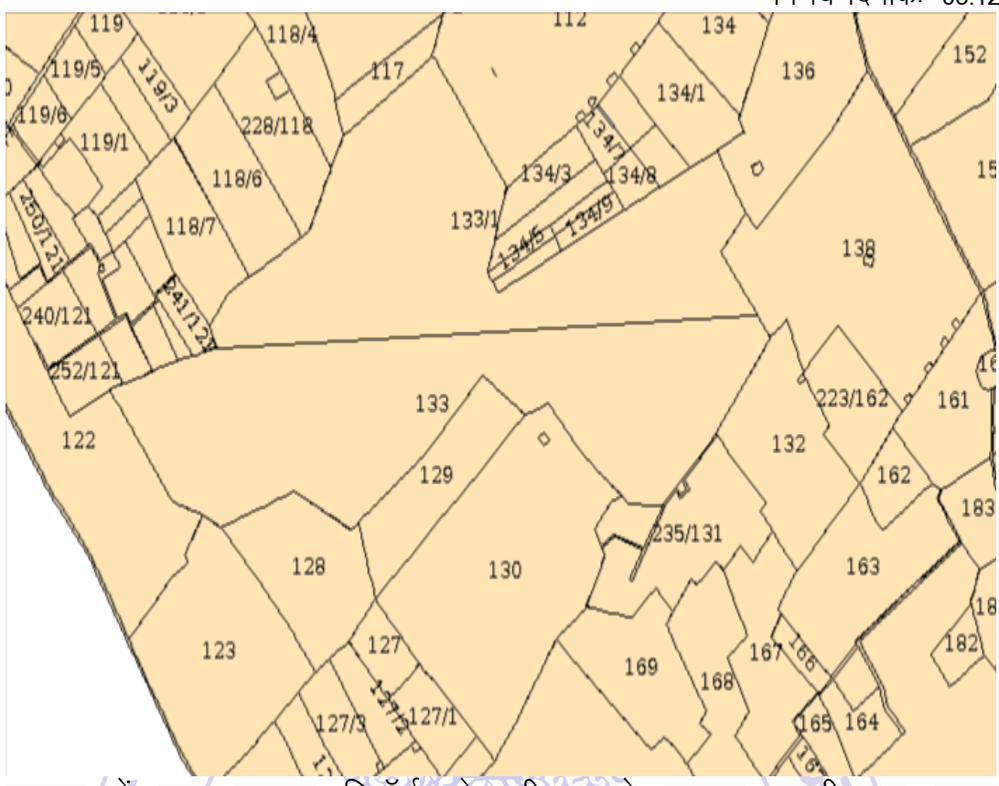

5. प्रकरण में हाल राजस्व रिकॉर्ड के परीक्षण के पश्चात तहसीलदार गुडामालानी पत्रांक / भू.अ. / 2024 / 2322 दिनांक 21.11.2024 के द्वारा प्रेषित मौका रिपोर्ट व नजरी नक्शा प्रस्तुत किया है। उक्त तहसीलदार गुडामालानी द्वारा पत्रांक / भू.अ. / 2024 / 2322 दिनांक 21.11.2024 के द्वारा प्रेषित मौका रिपोर्ट व नजरी नक्शा का अवलोकन किया जाना आवश्यक है। जिसका तुलनात्मक विवरण निम्न प्रकार हैः—

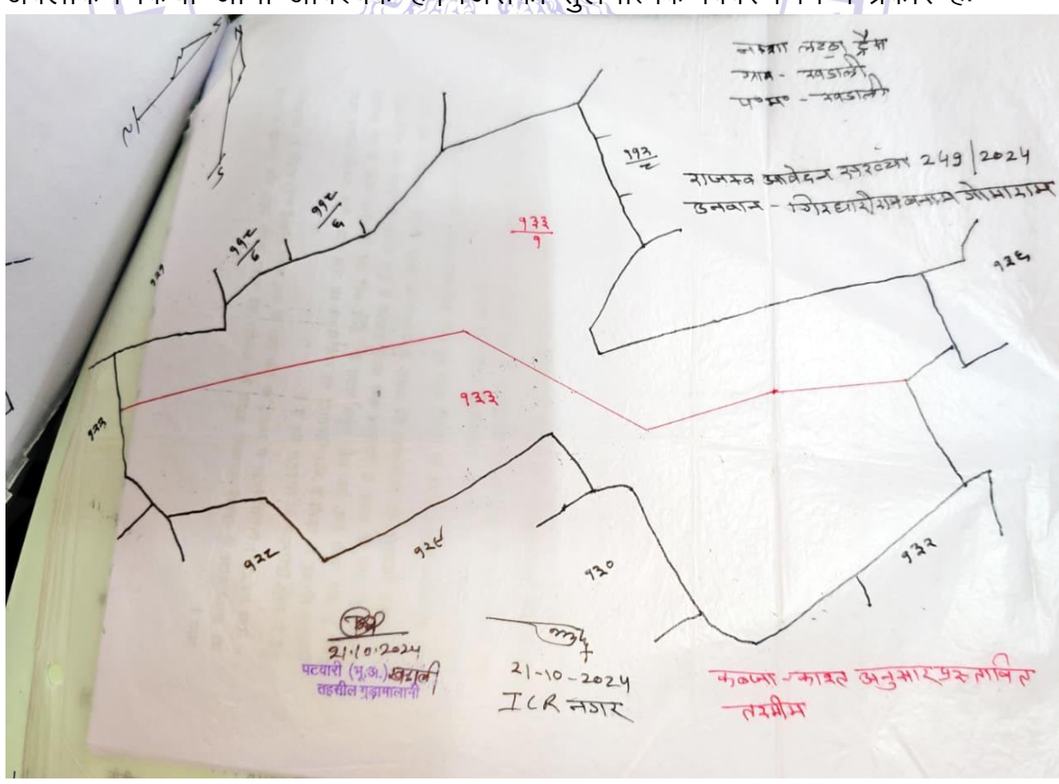

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2025.12.07 13:16:47 IST
Reason: SelfAttested

6. प्रकरण में तहसीलदार गुडामालानी द्वारा पत्रांक/भू.अ./2024/2322 दिनांक 21.11.2024 के द्वारा प्रेषित मौका रिपोर्ट के प्रासांगिक विवरण का उद्धरण इस प्रकार हैः—
    1. आराजी खसरा संख्या 133 तथा खसरा संख्या 133/1 वाके ग्राम खडाली के अंकन अनुसार वर्तमान में प्रार्थी मौके पर काबिज काश्त नहीं है। प्रार्थी का कब्जा काश्त, ढाणियां, टांके आदि आंशिक रूप से अप्रार्थी के खसरा संख्या 133/1 में आती है।
    2. ग्राम खडाली के आराजी खसरा संख्या 133 व खसरा संख्या 133/1 में प्रार्थी के वास्तविक कब्जा काश्त अनुसार तरमीम दुरूस्त किया जाना उचित है।

7. प्रकरण में अप्रार्थी द्वारा जवाब प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि उक्त प्रकरण का निर्णयन हाजा न्यायालय द्वारा 18.04.2001 को किया जा चुका है। उक्त निर्णय में तहसीलदार द्वारा प्रेषित विभाजन प्रस्ताव का नक्शा निम्न प्रकार हैः—

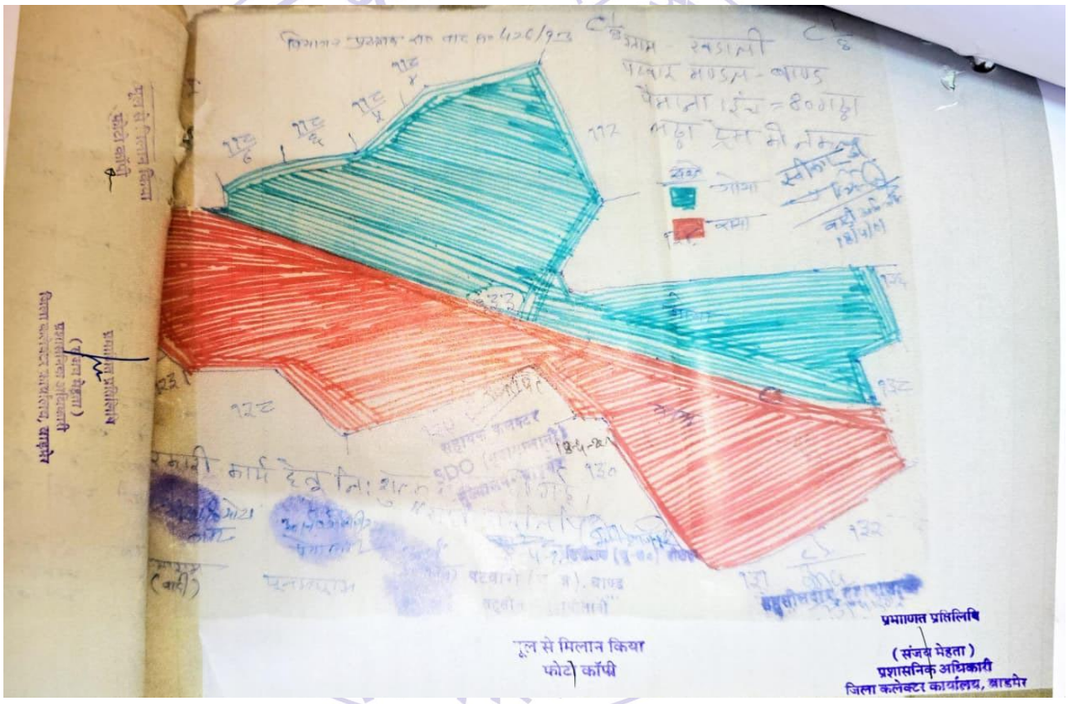

8. प्रकरण में इस प्रकार स्पष्ट है कि प्रार्थी व अप्रार्थी की संयुक्त खातेदारी आराजी का सक्षम न्यायालय द्वारा डिक्री जारी कर विधिक विभाजन किया जा चुका है। उक्त अंतिम डिक्री में संलग्न नक्शे के अनुसार ही हाल राजस्व रिकॉर्ड में तरमीम अंकित की हुई है। इस प्रकार प्रार्थी व अप्रार्थी की संयुक्त खातेदारी आराजी का सक्षम न्यायालय द्वारा डिक्री जारी कर विधिक विभाजन के पश्चात हाजा न्यायालय का क्षेत्राधिकार के तहत हस्तगत प्रार्थना पत्र नहीं आता है। प्रार्थी के समक्ष सक्षम न्यायालय द्वारा जारी निर्णय के विरूद्ध अपील का विकल्प उपलब्ध है। इस प्रकार हस्तगत प्रार्थना पत्र को खारिज किया जाना उचित प्रतीत होता है। अतः

आदेश है कि

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2025.12.07 13:16:47 IST
Reason: SelfAttested

राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम–1956 की धारा 131, 136 के अन्तर्गत प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अस्वीकार किया जाता है।

उक्त निर्णय की पालना हेतु एक प्रति तहसीलदार गुडामालानी को भिजवायी जावें।

यह आदेश आज दिनांक 05.12.2025 को लिखवाया जाकर सरे–इजलास सुनाया गया एवं अधोहस्ताक्षकर्ता की मुहर व हस्ताक्षर से जारी किया गया।

(केशव कुमार मीना आर.ए.एस)
सहायक कलक्टर
गुढामालानी–बाड़मेर

न्यायालय सहायक कलक्टर/उपखंड अधिकारी
सत्यमेव जयते
गुढ़ामालानी

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2025.12.07 18:16:47 IST
Reason: SelfAttested